

All the candidates qualified on the basis of the result of the Mains/Stage-II Examination of the Engineering Services Examination, 2018 are requested to fill the Detailed Application Form (DAF) ONLINE.

A. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination-2018, which include conditions of eligibility etc. as notified on 27th September, 2017 and published in the Gazette of India, dated 29th September, 2017 and also available on link www.upsc.gov.in / Detailed Application Form for Engineering Services Examination, 2018.

B. Read the following instructions before filling up the online Detailed Application Form.

1 HOW TO APPLY:

- a. Candidates must fill up and submit Online Detailed Application Form by using the website www.upsc.gov.in. **The Online Detailed Application Form can be filled from 09.08.2018 to 20.08.2018 till 06:00 PM after which the link will be disabled.**
- b. Candidates should ensure that all columns should be filled in correctly. No correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the online Detailed Application Form.

Guidelines for filling the online Detailed Application Form (DAF) for Engineering Services Examination, 2018

1. Please log on to the website www.upsc.gov.in and click on the link “Detailed Application Form **Engineering Services Examination, 2018**”.
 2. Candidates who have been declared qualified in the Mains/Stage-II Examination of the Engineering Services Examination, 2018 have to first get themselves registered before filling up the Online Detailed Application Form (DAF) at the website www.upsc.gov.in.
 3. Please create your registration account by clicking appropriately on the link provided below the “login” button.
 4. On the registration module, provide your Name (as recorded in the matriculation/secondary examination certificate), Roll Number (in six digit format) and Date of Birth (as recorded in the matriculation/ secondary examination certificate).
 5. Provide your e-mail address and re-enter your e-mail address to confirm the same.
 6. Enter the random number which is appearing on the screen and click the submit button.
- NB: (a) All the field are compulsory to fill in.
- (b) Please ensure that you provide a valid and an active e-mail address in the e-mail address field as your password for filling up. The Application Form shall be e-mailed to you on the e-mail address provided by you. Invalid or inactive e-mail address may prevent you from smooth completion and submission of online Detailed Application Form.
7. After clicking the submission button, you will get a message on your screen, clearly mentioning your Name and e-mail that you have been registered and your password has been sent to your e-mail address. Please note down your password.
 8. Now log in to your e-mail account and note down your password which has been sent to you by the Commission and again go back to the website (<http://www.upsc.gov.in>) and log in into the Login module with your Roll Number (seven digit number) along with the password.
 9. Online DAF has 08 (Eight) modules as indicated above, namely- Personal Information, Educational Information, Parental Information, Service Preference, Employment Information, Socio-Economic Questionnaire, Upload Documents and Final Submission.
 10. Candidates are required to fill all the modules completely before finally submitting the Form ONLINE, using the Final Submission Module.

11. Candidates should save each module after completing the same. However, candidates will have the option to make changes in any module before final submission of DAF. **Once Final Submission has been made, then no change will be possible Online.**
12. Candidates are required to upload scanned copies of documents as mentioned in the Instructions to candidates for filling in the Detailed Application Form.
13. Candidates may note that some of the fields namely Candidate's name, Date of Birth, Father's name, Mother's name etc. have been pre-populated using the information provided by the candidate at the time of filling up the Common Application Form. Such fields will appear grayed out and cannot be changed by the candidate. However, if a Candidate notes any error / discrepancy in these fields, he may make a separate detailed representation to the Commission including all relevant documents, in support of his claim. The Commission will decide each such case on merit and its decision in such cases shall be final.

Union Public Service Commission

ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 2018

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

1. The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to a single pdf file up to 2 mb, before filling in the online DAF. The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

(i) A scanned copy of the certificate of age.

(ii) A scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of the Commission and Rule 6 of the Rules of Examination notified on 27th September, 2017 and published in the Gazette of India dated 29th September, 2017.

(iii) A scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Physically Handicapped (whichever applicable).

(iv) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix-I.

(v) A scanned copy of the certificate in support of claim of age concession, wherever applicable.

Originals of the above certificate are required to be produced along with self-certified copies of all the documents at the time of Interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

2. Candidates must use only International form of Indian numerals in filling in the application form, e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. They should take special care that the entries made in the application form should be clear and legible. In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the confusion and the ambiguity caused in interpreting such entries. Corrections, if any, should be legible and self attested by the candidates.

3. Candidates are required to specify clearly in Column 17 of the application form the Services/Posts for which they wish to be considered in order of preference. They are advised to indicate as many preferences as they wish to, so that having regard to the rank in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment.

N.B. (i)—Departmental candidates admitted to the examination under age relaxation vide Rule 5(b) may give their preferences for the Services/Posts in other Ministries/Departments also.

N.B. (ii)—Candidates admitted to the examination under the proviso to Rule 6 will be considered only for the posts mentioned in the said proviso, and their preference for other Services and Posts, if any, will be ignored.

N.B. (iii)—No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission.

4. The information earlier given by the candidates in the application form for the Examination will be cross-checked with the information given by them in this application form. If there are any serious discrepancies, their candidature will be cancelled.

5. The candidates should upload a recent passport size photograph in the space provided for it in the application form.

6. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes, the Schedule Tribes or the Other Backward Classes should upload in support of his/her claim a scanned copy of the certified in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer as indicated in **Appendix-I** of the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.

7. A candidate must fill up and submit online DAF along with scanned copies of the relevant documents by using the web-site www.upsc.gov.in.

8 A candidate must upload along with his/her online DAF, a scanned copy of certificate of age (indicating his/ her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University and that extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may upload a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination certificate in this part of the instruction includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must upload, in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, a scanned copy of the certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

Note 1: A candidate who holds a completed Secondary School Certificate need upload a scanned copy of the page containing entries relating to age only.

Note 2 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

Note 3 : Candidates should also note that once date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

9 (i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should upload a scanned copy of a certificate from the District Magistrate in the State of Jammu and Kashmir within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he/ she had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix -II**, from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he/she was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

(iii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate as applicable to them, in the form given in **Appendix-III**, from the authorities concerned.

(iv) A Government Servant claiming age concession under rule 5(b) should upload a scanned copy of original certificate issued from the Head of the Department/Office in the format given in **Appendix-IV**.

10. A candidate claiming to belong to physically disabled category shall be required to meet one or more of the physical requirement/abilities, as laid down in Rule 19 of the Rules for the Engineering Services Examination, 2018, for performing the duties in the concerned Services/Posts. He/She must upload a scanned copy of the certificate issued by Government Hospital/Medical Board in the format given in **Appendix-V**(Form IV).

Note(i) To avoid inconvenience later, PH candidates should ensure that their sub-category of disabilities is identified for providing reservation. In this regard para 8 of Examination Notice published in Employment News dated 27th September, 2017 may please be referred to.

Note (ii) Also please note that Temporary Disability Certificate does not confer upon the candidates, the benefit of being considered against the vacancies reserved under PH quota.

11. The candidates should note that their candidature for the Engineering Services Examination, 2018, will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

Note: The candidates shortlisted for interview on the basis of the result of Mains/Stage-II examination will be required to send self-attested copies of documents/ relevant certificates in support of claims made in the on-line application as and when demanded by the Commission. The candidates are required to produce the original certificates at the time of verification/ final processing.

12. Any online Detailed Application Form received without all or some of the enclosures will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the application form is properly filled in and is accompanied by all the relevant enclosures. No column of application should be left blank.

13. In all communications with the Commission regarding this application, the candidate should mention the name of Examination, his full name, Roll Number and date of birth.

Note : The candidates should note that Attestation Forms are to be submitted to respective Cadre Controlling/Appointing Authority only after allocation of services/posts. No Attestation Forms are to be sent to Railway Board prior to allocation of services/posts/

APPENDIX-1

(A) The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* son/daughter* of
of village/town* in District/ Division* of the State/Union
Territory* belongs to the..... caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/ Scheduled
Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@. the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@.

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @

the Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.@

the Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.@

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.@

the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.@

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.@ the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@ the

Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@

the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.@

the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@

the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.@

the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002@

the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002@

the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002 @

The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002@

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati*.....
 Father/Mother of Shri/Shrimati/ Kumari of village/town*
 in District/Division*..... of the State/Union Territory*..... who belongs to the
 caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
 issued by the dated

% 3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/
 town*..... of District/Division* of the State/Union Territory* of

Signature

Name

**Designation with Stamp.....

(With Seal of Office)
 State/Union Territory*

Place :

Date :

*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE : The term “ordinarily reside (s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue ScheduledCaste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/† Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.

(B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*.....
son/daughter* of Shri..... of village/town*in District/Division*..... of the
 State/Union Territory*.....belongs to theCommunity which is recognised as a backward class under
 :

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC (C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 186 dated 13th September, 1993.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19-10-94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 163 dated 20-10-1994.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24-5-95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 88 dated 25-5-1995.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 60 dated 11th March, 1996.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated 11th December, 1996.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 236 dated 12th December, 1997.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 239 dated 17th December, 1997.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated 6th December, 1999.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated 4th April, 2000.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12016/9/2000-BCC dated 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated 6th September, 2001.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section, 1 No. 151 dated 20th June, 2003.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I Section-1, No. 9 dated 13th January, 2004.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I Section-1, No.10 dated 16th January, 2006.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 67 dated 12th March, 2007.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12016/2/2007-BCC dated 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 232 dated 18th August, 2010.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12016/2/2007-BCC dated 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 274 dated 12th October, 2010.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12016/15/2008-BCC dated 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. -123 dated 16th June, 2011.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12016/13/2010-BC-II dated 8th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-257 dated 8th December, 2011.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12016/05/2011-BC-II dated 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. -41 dated 17th February, 2014.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated 14th January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-16 dated 14th January, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/7/2014-BC-II dated 23rd January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-26 dated 23rd January, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2015-BC-II dated 27th May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-144 dated 27th May, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/05/2011-BC-II dated 14th July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-191 dated 15th July, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/06/2014-BC-II dated 9th September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-234 dated 9th September, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/13/2016-BC-II dated 25th May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-160 dated 26th May, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2016-BC-II dated 13th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-188 dated 15th June, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/15/2016-BC-II dated 30th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-206 dated 30th June, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated 11th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-266 dated 11th August, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/6/2014-BC-II dated 6th December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-363 dated 7th December, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/13/2016-BC-II dated 22nd December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-374 dated 22nd December, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 20012/1/2017-BC-II dated 18th January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-18 dated 19th January, 2017.

Shri/Shrimati/Kumari*and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* ofDistrict/Division* of the State/Union Territory* of

This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated 8-9-1993 O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008, O.M. No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27th May 2013 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13th September, 2017.

Signature.....

**Designation..... (with seal of Office)
State/Union Territory

Place.....

Date.....

*Please delete the words which are not applicable.

@ Strike out whichever is not applicable.

NOTE : The term “ordinarily reside(s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificates will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note 1 : Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

Note 2 : The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him/her based on his/her father’s OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

Note 3 : No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for this examination will ordinarily be allowed by the Commission.

(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the DAF by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

UNDERTAKING

I.....son/daughter of Shri.....resident of Village/Town/
City.....District.....State/UThereby declare that I belong to
the.....community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose
of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel & Training Office memorandum No. 36012/22/93-
Estt(SCT) dated 8.9.1993. it is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of
the Schedule to the above referred Office Memorandum, dated 8th September, 1993, O.M. No. 36033/3/2004-estt.(Res) dated 9th
March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res) dated 14th October, 2008, O.M. No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27th May ,
2013 & O.M. No.36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13th September, 2017.

APPENDIX-II

THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATE DISABLED WHILE IN THE DEFENCE SERVICES :—

Certified that No. Rank Name
 of Unit
 was disabled while in the Defence Service in operations during
 hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature.....

Designation.....

Date.....

*Strike out whichever is not applicable.

APPENDIX-III

(A) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR RELEASED/RETIRED PERSONNEL

It is certified that No..... Rank..... Name.....whose date of birth is..... has rendered service from..... to..... in Army/ Navy/Air Force and he fulfils the following conditions :—

- (a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
- (b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on.....

Station :

Date :

Signature and Designation of the Competent Authority SEAL

(B) FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL*(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year).*

I hereby certify that according to the information available with me No..... Rank..... Name..... is serving in the Army/Navy/ Air Force from..... and is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the date.....

Place :

Date :

Signature of Commanding Officer
Office Seal

Candidate furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking:—

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE:

I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/disc harged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex- servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Signature of Candidate

Place :

Date :

(C) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR SERVING ECOs/SSCOs WHO HAVE ALREADY COMPLETED THEIR INITIAL ASSIGNMENT AND ARE ON EXTENDED ASSIGNMENT.

It is certified that No..... Rank..... Name..... whose date of birth is..... is serving in the Army/Navy/Air Force from.....

2. He has already completed his initial assignment of five years on-----and is on extended assignment till _____.

3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Station :

Date :

Name and Designation of the Competent Authority SEAL

Authorities who are competent to issue certificate are as follows :—

(a) In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs.

Army—Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi.

Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi.

Air Force—Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.

(b) In case of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.

Army—By various Regional Record Offices.

Navy—BABS, Mumbai.

Air Force—Air Force Records NERW, New Delhi.

APPENDIX-IV

THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY GOVERNMENT SERVANTS CLAIMING AGE CONCESSION UNDER RULE 5(b)

Certified that:

*(a) Shri/Shrimati/Kum. holds substantively a permanent post of in the Office/Department ofwith effect from

*(b) Shri/Smt./Kum. has been continuously in temporary service on a regular basis under the Central Government in the post ofin thewith effect from

(c) This Deptt./Office is under the control of the following authority, which is one of the authorities specified in Column I below Rule 5 (b) of the Rules of the Engineering Services Examination, 2018.

(Please indicate here the name of the concerned authority)

Signature.....

Designation.....

Ministry/Office.....

Office Stamp

Place

Date :

APPENDIX-V

Form-I

APPLICATION FOR OBTAINING DISABILITY CERTIFICATE BY PERSONS WITH DISABILITIES

(See Rule 3)

1. Name
 (Surname) (First name) (Middle name)
2. Father's Name Mother's Name
3. Date of Birth/...../.....
 Date Month Year
4. Age at the time of application : Year
5. Sex Male / Female
6. Address :
 - (a) Permanent address (b) Current address (i.e. for communication)
 -
 -
 -
 -
- (c) Period since when residing at current address
7. Educational status (Pl. tick as applicable)
 - (i) Post Graduate
 - (ii) Graduate
 - (iii) Diploma
 - (iv) Higher Secondary
 - (v) High School
 - (vi) Middle
 - (vii) Primary
 - (viii) Illiterate
8. Occupation
9. Identification mark : (i) (ii)
10. Nature of disability : Locomotor/hearing/visual/mental/others
11. Period since when disabled : From Birth/Since year
12. (i) Did you ever apply for issue of a disability certificate in the past YES/NO
 (ii) If yes, details :
 - (a) Authority to whom and district in which applied
 - (b) Result of application
13. Have you ever been issued a disability certificate in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration : I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

.....
(Signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with mental retardation, autism, cerebral palsy and multiple disabilities)

Dated :

Place :

Encl :

1. Proof of residence (Please tick as applicable)
 - (a) ration card,
 - (b) voter identity card,
 - (c) driving license,
 - (d) bank passbook
 - (e) PAN card,
 - (f) passport,
 - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer or the concerned Patwari or Head Master of a Govt. school,
 - (i) in case an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, etc., a certificate of residence from the head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:
Place:

Signature of issuing authority
Stamp

Form - IV**DISABILITY CERTIFICATE****(In cases other than those mentioned in Forms II and III)****(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)****(See Rule 4)**

Recent PP size self attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____

Date : _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____

Son/wife/daughter of Shri _____

Date of Birth _____ Age _____ years, male/female _____

(DD/MM/YY)

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/

_____ Street _____ Post Office _____ District _____

State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/She is a case of

_____ **Disability**. His/her extent of percentage physical impairment /disability has been evaluated

as per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Low vision	#		
3.	Blindness	Both Eyes		
4.	Hearing Impairment	\$		
5.	Mental retardation	X		
6.	Mental-illness	X		

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be Valid till _____
(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/Right/both arms legs

Single eye/both eyes

\$ Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.
--

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned

{Countersignature and seal of the CMO/Medical Superintendent/Head of Government Hospital, in case the certificate is issued By a medical authority who is not a government servant (with seal)}

Note : In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.”

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 908(E), dated 31st December, 1996.

GUIDELINES

CODE NUMBERS FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

Codes to be given for filling up different columns in the application form are mentioned below :—

Column 12 : CITIZENSHIP

Code	Description
01	a citizen of India
02	a subject of Nepal
03	a subject of Bhutan
04	a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India.
05	a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire or Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Column 13 : STATE OF DOMICILE

Code	State or Union Territory	Code	State or Union Territory
01	Andhra Pradesh	19	Nagaland
02	Arunachal Pradesh	20	Orissa
03	Assam	21	Punjab
04	Bihar	22	Rajasthan
05	Chhattisgarh	23	Sikkim
06	Goa	24	Tamil Nadu
07	Gujarat	25	Tripura
08	Haryana	26	Uttarakhand
09	Himachal Pradesh	27	Uttar Pradesh
10	Jammu & Kashmir	28	West Bengal
11	Jharkhand	29	Andaman & Nicobar Islands
12	Karnataka	30	Chandigarh
13	Kerala	31	Dadra and Nagar Haveli
14	Madhya Pradesh	32	Daman & Diu
15	Maharashtra	33	Delhi
16	Manipur	34	Lakshadweep
17	Meghalaya	35	Puducherry
18	Mizoram		Telangana

NOTE : Candidate should be twice sure of giving the right code. Whenever one or more boxes like have been provided for the answer, care has to be exercised that not more than one numeral is entered in one box. If the code requires two or more digits then as many boxes have been provided. Further, whenever a code reads like 01 or 02 i.e. there is a 0 on the left, one should take care to enter the code with the 0. The code should not be entered without 0 as illustrated below :—

	1
--	---

Wrong

0	1
---	---

Right

संघ लोक सेवा आयोग
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2018
उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व उम्मीदवार नीचे उल्लिखित अपने संगत मूल दस्तावेजों को 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन भी कर लें और उसे अधिकतम 2 एमबी तक की एक ही सिंगल पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल, पासवर्ड के जरिए सुरक्षित न हो और डीएएफ को ऑनलाइन सबमिट करते समय ही इसे अपलोड किया जाना चाहिए।

- (i) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (ii) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3(iii) और दिनांक 27 सितंबर, 2017 को अधिसूचित एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 29 सितंबर, 2017 को प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 6 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जो भी लागू हो)।
- (iv) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबद्ध न होने के समर्थन में संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति। यह परिवचन परिशिष्ट-1 के पैरा बी-1 में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- (v) आयु में रियायत के दावे, जहां कहीं लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें और कोई भी दस्तावेज डाक द्वारा न भेजें।

2. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र भरते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप, उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य हों। किसी भी प्रविष्टि के अपाठ्य या भ्रामक होने की स्थिति में, ऐसी प्रविष्टियों की व्याख्या में भ्रम और संदिग्धता के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे। संशोधन, यदि कोई हो, तो उसे सुपाठ्य तथा उम्मीदवार द्वारा स्व-अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।

3. उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र के कॉलम 17 में उन सेवाओं/पदों का स्पष्ट उल्लेख करें जिसके अनुसार उनकी वरीयता क्रम पर विचार किया जा सके। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी इच्छा अनुसार अधिक से अधिक वरीयता क्रम दें जिससे कि योग्यता क्रम में उनकी वरीयता को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्ति के समय उनकी वरीयता पर उचित विचार किया जा सके।

नोट (i) – नियम 5(ख) के तहत आयु में छूट के अंतर्गत प्रवेश दिए गए विभागीय उम्मीदवारों द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों में भी सेवाओं/पदों के लिए वरीयता दी जा सकती है।

(ii) नियम 6 के उपबंध के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों पर केवल उक्त उपबंध में उल्लिखित पदों के लिए ही विचार किया जाएगा और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनके द्वारा दी गई वरीयताओं, यदि कोई हो, पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई वरीयताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन के लिए आयोग द्वारा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. उम्मीदवारों द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना का मिलान इस आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से किया जाएगा। यदि कोई गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

5. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र में दिए गए स्थान पर अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अपलोड करना चाहिए।

6. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या **परिशिष्ट-1** में निर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारी से **परिशिष्ट-1** में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसे संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पदनामित किया गया हो। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।

7. उम्मीदवार वेबसाइट www.upsc.gov.in के माध्यम से संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों सहित विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) को भरें और उसे ऑनलाइन सबमिट करें।

8. उम्मीदवार को आयु के प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख दर्शाई गई है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) के साथ संलग्न करनी होगी। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ऐसे उम्मीदवार जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, वे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म-कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम, सेवा अभिलेख आदि से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेश के इस भाग में मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

नोट 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से संबद्ध प्रविष्टियों वाले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति ही प्रस्तुत करनी होगी।

नोट 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

नोट 3 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में, या बाद की किसी अन्य परीक्षा में, परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. (i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को जम्मू व कश्मीर राज्य के उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यतः रहा हो या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान वह सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहा हो।

(ii) आयु में छूट प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए अक्षम हुआ है, महानिदेशक पुनः स्थापना, रक्षा मंत्रालय से, **परिशिष्ट-II** में दिए गए प्रपत्र में, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इसकी स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए कि वह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अक्षम हुआ और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ था।

(iii) कमीशन प्राप्त अधिकारियों और आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों सहित आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को संबंधित प्राधिकारियों से **परिशिष्ट-III** में दिए गए प्रपत्र में, उन पर लागू प्रमाण-पत्र के अनुसार, स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।

(iv) नियम 5(ख) के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले सरकारी कर्मचारी को **परिशिष्ट-IV** में दिए गए प्रपत्र में विभागीय/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।

10. शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी से संबद्ध होने का दावा करने वाले उम्मीदवार को संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य करने के लिए इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2018 की नियमावली के नियम 19 में निर्धारित एक या एक से अधिक शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं को पूरा करना होगा। उन्हें **परिशिष्ट-V** (प्रपत्र-IV) में दिए गए प्रपत्र में सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।

नोट (i) – शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी अक्षमता की उप-श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है, ताकि बाद में होने वाली असुविधा से बचा जा सके। इस संबंध में कृपया दिनांक 27 सितंबर, 2017 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा नोटिस के पैरा 11 का संदर्भ लें।

नोट (ii) – यह भी नोट करें कि अस्थायी अक्षमता प्रमाण-पत्र के आधार पर उम्मीदवारों को शा.वि. कोटे के अंतर्गत आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किए जाने का लाभ नहीं मिलेगा।

11. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2018 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है तथा उनकी निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी : प्रधान/चरण-II परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को, आयोग द्वारा मांगे जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां भेजनी अपेक्षित होंगी। उम्मीदवारों को सत्यापन/अंतिम प्रक्रिया (कार्रवाई) के दौरान मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

12. जिन मामलों में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र सभी अनुलग्नकों के बिना या कुछ ही अनुलग्नकों सहित प्राप्त होंगे, उनमें उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन प्रपत्र सही प्रकार भरा गया है और सभी संगत अनुलग्नक संलग्न किए गए हैं। आवेदन का कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए।

13. इस आवेदन के संबंध में आयोग से किए गए अपने समस्त पत्र-व्यवहार में उम्मीदवार, परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।

नोट : उम्मीदवार यह नोट करें कि सेवाओं/पदों के आबंटन के बाद ही संबंधित संवर्ग नियंत्रण/नियुक्ति प्राधिकारी को साक्षात्कन प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिए। सेवाओं/पदों के आबंटन से पहले साक्षात्कन प्रपत्र रेलवे बोर्ड को नहीं भेजने हैं।

परिशिष्ट-I

(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- सुपुत्र/सुपुत्री* श्री -----
----- जो गांव/कस्बा* -----जिला/मंडल*-----राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र* ----- के/की निवासी हैं और -----जाति/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे
निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है :-
संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित@

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @

%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- ग्राम/कस्बा* -
----- जिला/मंडल* ----- राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र* ----- जो ----- जाति/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे -
----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता
प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती* -----को-----द्वारा
दिनांक----- को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी* -----और/या* उनका परिवार आमतौर से ग्राम/कस्बा*-----
----- जिला/मंडल* ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* -----
----- में रहते/रहती हैं ।

हस्ताक्षर -----

नाम -----

**पदनाम -----

(कार्यालय की मोहर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*-----

स्थान-----

तारीख -----

* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें।

% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें।

नोट : यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" शब्दावली का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची :

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/+ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ।
+ (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो) ।
- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- सुपुत्र/सुपुत्री*
श्री/श्रीमती ----- जो जिला/मंडल* ----- के गांव/कस्बा* --
----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* -----के/की निवासी हैं और -----
----- समुदाय से संबद्ध हैं जिसे निर्मांकित के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग होने की मान्यता प्राप्त है :-

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी.)।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 163 में दिनांक 20.10.1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 19.10.1994 का संकल्प सं. 12011/9/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 88 में दिनांक 25.05.1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 24.05.1995 का संकल्प सं. 12011/7/95-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं. 12011/44/96-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/99/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/13/97-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 का संकल्प सं. 12011/68/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं. 12011/88/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं. 12011/36/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 191 में दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं0 12015/05/2011-बी.सी.-॥ ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 9 सितंबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 9 सितंबर, 2015 का संकल्प सं0 12011/06/2014-बी.सी.-॥ ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं0 12011/13/2016-बी.सी.-॥ ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं0 12011/14/2016-बी.सी.-॥ ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं0 12011/15/2016-बी.सी.-॥ ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प सं0 12011/04/2014-बी.सी.-॥ ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 7 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं0 12011/6/2014-बी.सी.-॥ ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं0 12011/13/2016-बी.सी.-॥ ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प सं0 20012/1/2017-बी.सी.-॥ ।

श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- और/या* उनका परिवार सामान्यतया----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के ----- जिला/मंडल*के गांव/कस्बा* ----- में निवास करते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे* कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* (सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर -----

**पदनाम -----
(कार्यालय की मोहर)
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-----

स्थान-----

तारीख -----

* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

@ जो लागू न हों उसे हटा दें।

नोट : यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं।

टिप्पणी 1 : अन्य पिछड़े वर्गों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्गों के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा जिससे उसके पिता मूलतः सम्बद्ध हैं। अतः वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका है उसे अन्य पिछड़े वर्ग का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे, उसके पिता को उस राज्य जिससे (पिता) मूलतः सम्बद्ध है, से प्राप्त अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

टिप्पणी 3 : आयोग, सामान्यतः उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में दर्शायी गई सामुदायिक स्थिति में किसी आधार पर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले परिवचन का प्रारूप।

परिवचन

मैं सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम/कस्बा/शहर
जिला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं
..... समुदाय से संबद्ध हूँ जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 08.09.1993 के
का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार
द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 के ऊपर
संदर्भित और दिनांक 9.3.2004 और दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण), दिनांक 27 मई,
2013 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) तथा दिनांक 13 सितंबर, 2017 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-
स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

परिशिष्ट-II

रक्षा सेवाओं में कार्य करने के दौरान अक्षम हुए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निम्नानुसार है :-

प्रमाणित किया जाता है कि सं. रैंक श्री यूनिट
..... रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में फौजी कार्रवाई के
दौरान अक्षम हुए और ऐसी अक्षमता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक

* जो शब्द लागू न हो उन्हें कृपया काट दें।

परिशिष्ट-III

(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं. रैंक नाम, जिनकी जन्मतिथि है, ने से तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित में से एक शर्त पूरी करते हैं :-

- (क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और वे सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर कार्यमुक्त हुए हैं, न कि वे कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त हुए हैं।
- (ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण को कार्यमुक्त हुए हैं।

स्थान :

तारीख :

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
मुहर

(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म

(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है।)

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं. रैंक नाम दिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं।

स्थान :

तारीख :

कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर

उक्त "ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित परिवचन प्रस्तुत करना होगा :-

उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला परिवचन :

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूँ और यह कि समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(ग) प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं. रैंक
नाम जिनकी जन्मतिथि है, से थल सेना/नौसेना/ वायु सेना में सेवारत हैं।

2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा को पूरी कर ली है और अब वे तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है तथा उनका चयन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
कार्यालय की मोहर

स्थान :

तारीख :

प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-

(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के मामले में :-

थल सेना - मिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में :-

थल सेना - विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना - बी.ए.बी.एस., मुम्बई।

वायु सेना - वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली।

परिशिष्ट-IV

नियम 5 (ख) के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि :

* (क) श्री/श्रीमती/कुमारी* दिनांकसे
..... कार्यालय/विभाग में मूलपद पर स्थायी रूप से कार्यरत
हैं।

* (ख) श्री/श्रीमती/कुमारी* दिनांक से
..... कार्यालय/विभाग में केन्द्र सरकार के तहत पद पर अस्थायी
सेवा में नियमित आधार पर लगातार कार्यरत रहे हैं।

(ग) यह कार्यालय/विभाग जो निम्नलिखित प्राधिकारी के अधीन है, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2018 की
नियमावली के नियम 5(ख) के नीचे दिए कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से एक है।

(कृपया यहां संबंधित प्राधिकारी का नाम लिखें)

हस्ताक्षर

पदनाम

मंत्रालय/कार्यालय

कार्यालय की मोहर

स्थान :

तारीख :

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

परिशिष्ट-V

प्रपत्र - I

**अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-प्रपत्र
(नियम 3 देखें)**

1. नाम
(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)
2. पिता का नाम माता का नाम
3. जन्म तिथि : ____/____/____
(तिथि) (माह) (वर्ष)
4. आवेदन के समय आयु : _____ वर्ष
5. लिंग : पुरुष/महिला
6. पता :

(क) स्थायी पता:

(ख) वर्तमान पता (अर्थात् पत्र-व्यवहार के लिए)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(ग) वर्तमान पते पर निवास करने की अवधि

7. शैक्षणिक योग्यता (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

- (i) स्नातकोत्तर
- (ii) स्नातक
- (iii) डिप्लोमा
- (iv) हायर सेकेंडरी
- (v) हाई स्कूल
- (vi) मिडिल
- (vii) प्राइमरी
- (viii) अशिक्षित

8. व्यवसाय

9. पहचान के चिन्ह (i) (ii)

10. अक्षमता की प्रकृति : चलने में असमर्थ/श्रवण बाधित/दृष्टि बाधित/ मानसिक/अन्य

11. वह अवधि जब से अक्षम हैं : जन्म से/.....वर्ष से

12. (i) क्या आपने पूर्व में कभी अक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है हां/नहीं

(ii) यदि हां, तो विवरण दें :

(क) किस प्राधिकारी और जिले में आवेदन किया है.....

(ख) आवेदन का परिणाम

13. क्या आपको पूर्व में कभी अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न करें।

घोषणा : मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत व्यक्त नहीं की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे आवेदन प्रपत्र में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

.....
(अक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा
बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा
मानसिक अक्षमता (मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज्म,
प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधिक
अक्षमता वाले व्यक्तियों के मामले में
उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा
बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

दिनांक :

स्थान :

संलग्नक :

1. निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)
 - (क) राशन कार्ड,
 - (ख) मतदाता पहचान पत्र,
 - (ग) ड्राइविंग लाइसेंस,
 - (घ) बैंक पासबुक,
 - (ङ.) पैन कार्ड,
 - (च) पासपोर्ट,
 - (छ) टेलीफोन, विद्युत, जल और अन्य उपभोज्य बिल जिसमें आवेदक का पता लिखा हो,
 - (ज) पंचायत, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित पटवारी अथवा किसी सरकारी स्कूल के हैडमास्टर द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र,
 - (झ) अक्षम, निराश्रित, मानसिक रोग, आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निवास संस्थान के मामले में ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त निवास प्रमाण-पत्र।

2. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटोग्राफ

.....

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

दिनांक :

स्थान :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

प्रपत्र - IV

अक्षमता प्रमाण पत्र

(फार्म II तथा III में उल्लिखित मामलों से अन्यथा)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 4 देखें)

अक्षम व्यक्ति
का वर्तमान
पासपोर्ट
आकार का
स्व-
अनुप्रमाणित
फोटो (केवल
चेहरा दर्शाया
हो)

प्रमाण-पत्र सं.

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
_____ जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) ___/___/___ आयु _____ वर्ष,
पुरुष/महिला _____ पंजीकरण सं. _____ स्थायी निवासी मकान नं. _____ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट _____
डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है,

की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि वह _____ **अक्षमता** से ग्रस्त हैं। मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अक्षमता के प्रतिशत की सीमा को आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत अक्षमता के सामने दर्शाया गया है:

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	कम दृष्टि	#		
3.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
4.	श्रवण बाधित	\$		
5.	मानसिक मन्दता	X		
6.	मानसिक व्याधि	X		

(कृपया उस अक्षमता को काट दें जो लागू नहीं है)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार नहीं होने की संभावना है।

3. अक्षमता का आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) वर्षोंमाह के उपरांत करने की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र तक के लिए वैध रहेगा।

(तिथि) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

एक आंख/दोनों आंख

\$ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर

(यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक

सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह मुख्य चिकित्सा

अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/

सरकारी अस्पताल के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर

ही वैध होगा (मुहर सहित))

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी: चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा।"

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 908 (ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

मार्गनिर्देश

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु कोड संख्या

आवेदन प्रपत्र में विभिन्न कॉलमों को भरने के लिए दिए जाने वाले कोड निम्नानुसार हैं:-

कॉलम 12 : राष्ट्रीयता

कोड	विवरण
01	: भारत का नागरिक
02	: नेपाल की प्रजा
03	: भूटान की प्रजा
04	: ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो
05	: कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैरे या इथियोपिया अथवा वियतनाम से आया हो।

कॉलम 13 : निवासी

कोड	राज्य या संघ शासित क्षेत्र	कोड	राज्य या संघ शासित क्षेत्र
01	आंध्र प्रदेश	19	नागालैंड
02	अरुणाचल प्रदेश	20	उड़ीसा
03	असम	21	पंजाब
04	बिहार	22	राजस्थान
05	छत्तीसगढ़	23	सिक्किम
06	गोवा	24	तमिलनाडु
07	गुजरात	25	त्रिपुरा
08	हरियाणा	26	उत्तराखंड
09	हिमाचल प्रदेश	27	उत्तर प्रदेश
10	जम्मू व कश्मीर	28	पश्चिम बंगाल
11	झारखंड	29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
12	कर्नाटक	30	चंडीगढ़
13	केरल	31	दादरा एवं नगर हवेली
14	मध्य प्रदेश	32	दमन व दीव
15	महाराष्ट्र	33	दिल्ली
16	मणिपुर	34	लक्षद्वीप
17	मेघालय	35	पुडुचेरी
18	मिजोरम		तेलंगाना

नोट : उम्मीदवार को सही कोड भरने हेतु विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी उत्तर देने के लिए एक या अधिक बॉक्स दिए गए हों, यह ध्यान रखें कि एक बॉक्स में केवल एक अंक ही प्रविष्ट हो। यदि कोड में दो या अधिक अंकों की आवश्यकता है तो उसके अनुसार ही बॉक्स दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जब कोड 01 या 02 दिए गए हों अर्थात् बायीं तरफ 0 हो तो कोड के साथ 0 लिखें, कोड को 0 के बिना न भरें जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

	1
--	---

0	1
---	---

गलत

सही